(ग) सामान्यरूप से विदेशी विशेषज्ञ प्रायोजना के अन्त तक अर्थात 1970 के मध्य तक इस से संबद्ध रखे जायेंगे। तथापि इससे पहिले भी जब यह समझा जाये कि भारतीय भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीविद् विदेशी सहायता के बिना कार्य को दक्षतापूर्वक जारी रखने के समर्थ होंगे तभी विदेशी विशेषज्ञों में से कुछ को हटा दिया जायेगा।

कुटीर उद्योगों का विकास

7404. **श्री शिव चरण लाल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जैसे नगरों में, जहां हजारों लोग चमड़े की चप्पलें और जूते बनाने का काम करते हैं छोटे पैमाने के चमड़ा उद्योग का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : आगरा में चमड़ा उद्योग के विकास की देखभाल लघु उद्योग सेवा संस्थान आगरा, केन्द्रीय जूता प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रिसीजन शू लास्ट फैक्टरी द्वारा की जा रही है। लघु उद्योग संगठन तकनीकी तथा प्रबन्धकीय परामर्श सेवायें प्रदान करता रहा है और ऐसे अधिकारी जो चमड़ा विशेषज्ञ हैं अक्सर इन एककों में जाते हैं और उन्हें सुधरी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन कर विकास कार्य करते हैं। केन्द्रीय जूता प्रशिक्षण केन्द्र इस उद्योग के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकताओं की देख भाल करता है जबकि प्रिसीजन शू फैक्टरी लघु उद्योग एककों को आधुनिक नमूनों के लास्ट उपलब्ध करती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के भी जूता एककों की सहायता के लिए सामान्यतया सुविधाओं के केन्द्र हैं। इन एककों की उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

लघु चमड़ा जूता उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए लघु उद्योग विकासयुक्त ने लघु चमड़ा जूता उद्योग के मशीनीकरण के लिये एक समिति बनाई थी जिसने हाल ही में काम पूरा किया है।

आयात लाइसेंस

7405. **श्री राम चरण :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विकास के महा-निदेशक द्वारा दी गई सलाह के विपरीत 1966-67 में आयात लाइसेंस दिये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये थे;

(ग) इन लाइसेंसों के दिये जाने के क्या कारण थे; और

(घ) इसके फलस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तकनीकी विकास के महा-निदेशक की सलाह के विपरीत जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा मालूम करना सम्भव नही है, जब तक वहां विशिष्ट मामलों का उल्लेख न किया जाये।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Khadi and Village Industries Commission

7406. SHRI RAM CHARAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question No. 5665 on the 14th July, 1967 and Unstarred Question No. 5579 on the 22nd December, 1967 and state:

(a) whether the information regarding the names and addresses of the parties to whom loans were advanced by the Khadi and Village Industries Commission, amounting to Rs. 1,97,963,08 and were outstanding has since been collected; and

(b) if not, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). The correct amount which was outstanding was Rs. 1,60,158.58. The names and

addresses of the parties to whom loans were advanced by the Khadi and Village Industries Commission are given in the attached statement.

With regard to recovery, information is being collcted.

Statement

Statement showing names and addresses of the parties to whom loans were advanced by the Khadi and Village Industries Commission.

Name of the party	*Amount outstanding* (in Rs.)
(i) Sarvodaya Ashram, Orai (U.P.)	15,060.00
(ii) Jiyaguda Tanners Co-op. Society, Jiyaguda.	9,000.00
(iii) Vidyarthy Sudhar Sangh, Nagpur (Maharashtra)	13,684.50
(iv) Saranjam Karyalaya, Krishnarajapuram (Mysore)	1,22,414.08
Total :	1,60,158.58

Tours Abroad by Officers of S.T.C.

7407. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1808 on the 24th November, 1967 regarding the expenditure incurred on the tours abroad by the State Trading Corporation Officers and state :

(a) whether the required information has since been collected ; and

(b) if not, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). A Statement giving the required information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-893/68].

बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन

7408. **श्री राम चरण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन श्री कृपाल सिंह ने सेवा-निवृत्ति से पहले बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि निरीक्षण के समय बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन पर बहुत सी कमियों की ओर उनका ध्यान गया था और उन्होंने कुछ आदेश भी जारी किये थे;

(ग) यदि हां तो उन कमियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिये क्या आदेश जारी किये गये थे; और

(घ) किन आदेशों पर अमल हुआ है और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन

7409. **श्री राम चरण** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलन्दशहर के जिला दण्डाधीश, बुलन्दशहर नगरपालिका प्रधान तथा विधान परिषद के सदस्य श्री वेणी प्रसाद माधव ने बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में अनेक सुझाव दिये हैं;

(ख) क्या यह भी मांग की गई थी कि दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी हापुड़-बुलन्दशहर-खुर्जा के रास्ते चलायी जाये और क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने यह मांग स्वीकार कर ली थी; और

(ग) यदि हां, तो इसे अभी तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और उक्त मार्ग से यह गाड़ी कब तक चलाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।